न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0
प्रा0 पत्र सं0 02/2022 आवंटन नियम 14(4)

आम जनता ग्राम खडका तहसील सैंथल जिला दौसा राज0 जरिये

1. रामधन पुत्र रामसहाय सैनी
2. नहनूराम पुत्र रामचन्द्र
3. छाजूराम पुत्र रामनिवास सैनी
4. हरिराम पुत्र भरतलाल सैनी
5. नाथू पुत्र घासीराम सैनी
6. चौथमल पुत्र नाथू सैनी
7. रामफूल पुत्र बंशीधर सैनी
8. कमलेश पुत्र अर्जुनलाल मीना
9. लल्लूराम पुत्र मन्नालाल सैनी

समस्त निवासी ग्राम खडका तहसील सैंथल जिला दौसा राज0

..प्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. पांच्या पुत्र हटया जाति माली निवासी ग्राम खडका तहसील सैंथल जिला दौसा
2. अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार समिति, दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सैंथल

..अप्रार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रार्थना पत्र उन्नात 14(4) आवंटन अधिनियम विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 30.5.1992 भू आवंटन सलाहकार समिति बाबत आवंटन कृषि भूमि खसरा नंबर 24, 25, 28 बहक अप्रार्थी सं. 1

उपस्थित–1. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री बजरंग लाल शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 25.08.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप कालोता द्वारा दिनांक 30.5.1992 को ग्राम भेडोली के खसरा नंबर 24 रकबा 0.02है. खसरा नंबर 25 रकबा 0.06है., खसरा नंबर 28 रकबा 0.02 कुल किता 3 रकबा 0.10है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी पांच्या पुत्र हटया जाति माली को कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम खडका तहसील सैंथल जिला दौसा में आराजी खसरा नंबर 24 रकबा 0.02है. खसरा नंबर 25 रकबा 0.06है. खसरा नंबर 28 रकबा 0.02है. कुल किता 3 रकबा 0.10है. स्थित है। उक्त भूमि मौके पर रास्ते के रूप में आम जनता ग्राम खडका के उपयोग उपभोग में काम ली जा रही है तथा आम जनता खडका उक्त भूमि में होकर आवागमन करती है। अप्रार्थी सं0 1 ने पटवारी हल्का व आवंटन कमेटी के सदस्यों से मिलीभगत व साज करके अवैधानिक तरीके से चुपचाप में तस्दीक कराकर गैर खातेदारी दर्ज करा ली। अप्रार्थी सं0 1 का न तो आवंटन से पूर्व उक्त भूमि पर कब्जा था, ना ही आवंटन के

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

पश्चात ही अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त भूमि पर काश्त की, बल्कि भूमि रास्ते की भूमि है जिस पर आम जनता खडका आवागमन करती है। भू आवंटन सलाहकार समिति का आवंटन आदेश खिलाफ कानून, नियम, उपनियम व आवंटन नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित भूमि को आम जनता खडका रास्ते के रूप में आवागमन में काम लेती आ रही है तथा मौके पर रास्ता बदस्तूर चालू है। कानूनन व नियमानुसार खाली भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है। आवंटन के वक्त भूमि खाली नहीं थी, बल्कि रास्ते के रूप में काम आ रही थी। इसलिए उक्त आवंटन अवैधानिक व नियम विरूद्ध होने के कारण प्राथमिक तौर पर ही निरस्त योग्य है। राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(3) के अनुसार आवंटी को भूमि आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि को कम से कम 50 प्रतिशत जोतना अनिवार्य होता है तथा शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में जोतना होता है। यदि आवंटन की उक्त शर्त की पालना नहीं की जाती है अथवा आवंटन की शर्तों को भंग किया जाता है तो वह आवंटन खारिज किये जाने योग्य होता है। प्रश्नगत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात किसी भी वर्ष में कभी भी कोई काश्त नहीं की गई है तथा उक्त भूमि मौके पर रास्ते के रूप में आम जनता खडका के उपयोग में आ रही है। इस तथ्य को अनदेखा कर तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पालना नहीं किये जाने से आवंटन आदेश निरस्त योग्य है। आवंटित की गई भूमि मौके पर कृषि कार्य किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, अपितु उक्त भूमि आम जनता के लिए आम रास्ते के लिए देवस्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त हो रही है, किन्तु उक्त आवंटन की आड में अप्रार्थी सं0 1 उक्त रास्ते की भूमि को रहन बय हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा आम जनता के हितों के विपरीत आम रास्ते को बंद करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी सं0 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। आवंटी को आवंटित की गई भूमि काबिल काश्त भी नहीं है तथा बंजड व पडत भूमि है। ऐसी दशा में आवंटन नियमों की पालना नहीं होने के कारण एवं आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा न होने के कारण भी आवंटन आदेश निरस्त योग्य है। भूमि आवंटन से पूर्व आवंटन संबंधी कोई उदघोषणा भी जारी नहीं की गई है। कानूनन उदघोषणा आवंटन से पूर्व किये जाने का प्रावधान है जो कि प्रश्नगत आवंटन में नहीं किया गया है। आवंटन की कार्यवाही न तो मजमें आम में की गई है और ना ही आवंटन कमेटी का पूर्ण कोरम नहीं थी। इसलिए भी प्रश्नगत आवंटन निरस्तनीय है। आवंटी द्वारा आवंटन फार्म भी नियमानुसार नहीं भरा गया है साथ ही हल्फिया तस्दीक भी नियमानुसार नहीं है। इस कारण अपूर्ण आवेदन पत्र पर किया गया आवंटन प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन व फ्रॉड करके चुपचाप में मिलीभगत करके कराया है जो अवैध एवं अनुचित है। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की पूर्व में जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी सं0 1 एवं उसके परिजनों द्वारा आम जनता के आवागमन में बाधा उत्पन्न की व रास्ते को बंद करने का प्रयास किया गया जिस पर आम जनता द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से पूछने पर जानकारी हुई। अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त भूमि का आवंटन अपने नाम होने व आवंटन के आधार पर रास्ता बंद करने व भूमि को रहन, बय, हस्तान्तरण करने की धमकी देने पर प्रार्थीगण द्वारा आवंटन पत्रावली की तलाश कर नकल प्राप्त की जाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। फ्रॉड व मिसरिप्रजेन्टेशन करके कराये गये आवंटन को चुनोती दिये जाने की कोई समय सीमा नहीं है तथा किसी भी समय पर आवंटन आदेश को चुनौती दी जा सकती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन आदेश दिनांक 30.5.1992 बहक अप्रार्थी सं0 1 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी पांच्या के हक में किया गया आवंटन विधि पूर्ण है। आवंटन सलाहकार समिति

जिला कलक्टर,दौसा

.....निरंतर 3 पर

द्वारा दिनांक 30.5.1992 को कमेटी की पूर्ण कोरम एवं मजमे आम में प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटी पांच्या पुत्र हटया जाति माली निवासी भेडोली द्वारा भूमि आवंटन हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र भरकर आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र में आराजी खसरा नंबर 24, 25 व 28 रकबा 0. 10 है. भूमि का आवंटन चाहा गया था, जिस पर आवंटन सलाहकार समिति कैंप कालोता ने आवंटी को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने पर पटवारी हल्का के द्वारा ग्राम के दो मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में दिनांक 22.6.1992 को आवंटी को कब्जा संभलाया गया। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना किये जाने पर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण दिनांक 29.10.2001 को स्वीकार हुआ। आवंटी का भूमि आवंटन के वक्त से ही आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है एवं आज दिनांक तक भी आवंटी का कब्जा काश्त है। आवंटन की शर्तों की पालना करने पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत आवंटन आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। आवंटन सलाहकार समिति ने पूर्ण कोरम में अप्रार्थी सं० 1 को भूमि का आवंटन किया गया है। भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार उदघोषणा जारी की गई है। भूमि आवंटन के पश्चात कब्जा सुपुर्द किये जाने के दिन से ही आवंटी भूमि पर काबिज काश्त होकर लाभांवित होता चला आ रहा है। आवंटन फार्म पूर्ण एवं विधिवत रूप से भरकर प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का ने आवेदन पत्र की जांच की गई है। आवंटन कमेटी द्वारा आवेदन की गहनता से जांच कर विधिपूर्ण तरीके से भूमि का आवंटन किया गया है। भूमि आवंटन किये जाने में कोई फॉड अथवा मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन की दिनांक से ही रही है किन्तु प्रार्थी ने वर्ष 1992 में हुए आवंटन को इतनी लंबी अवधि के बाद चुनौती दी गई है। उक्त लंबी अवधि बाद आवंटन आदेश को चुनौती दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है । प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। भूमि का आवंटन पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा बोगस, मिथ्या एवं निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 को अत्यधिक विलंब से अर्थात भूमि आवंटन के लगभग 30 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। साथ ही प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश किये जाने का कोई औचित्यपूर्ण कारण भी नहीं बताया गया है। भूमि आवंटन के बाद पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं. 01 को आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया है। अप्रार्थी सं. 1 को आवंटित भूमि पर वर्तमान में खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को हैरान व परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का कोरम में मजमें आम में नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार सैंथल से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सैंथल राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम खडका के खसरा नंबर 24, 25 व 28 कुल किता 3 रकबा 0.10है. पांच्या पुत्र हटया जाति माली हिस्सा पूर्ण सा०देह खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक एवं उप तहसीलदार कुण्डल की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खडका के खरारा नंबर 24 रकबा 0.02है, खरारा नंबर 25 रकबा 0.06है. भूमि वर्तमान में मौके पर पड़त है एवं खसरा नंबर 28 रकबा 0.02है. भूमि पर फसल बोई हुई है। खसरा नंबर 24 व 25 में होकर आवागमन हेतु रास्ता मौके पर चालू है जो कि भोमिया बाबा मंदिर

.....निरंतर 4 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

तक जाता है जो कि यात्री एवं आम जन के काम आता है। खसरा नंबर 24 व 25 मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत 2079 फसल रबी व वर्तमान संवत 2080 फ़सल खरीफ पडत है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प कालोता द्वारा दिनांक 30.5.1992 को अप्रार्थी पांच्या पुत्र हटया जाति माली निवासी भेडोली को ग्राम भेडोली स्थित आराजी खसरा नंबर 24 रकबा 0.02 है. खसरा नंबर 25 रकबा 0.06है., खसरा नंबर 28 रकबा 0.02 है. कुल किता 3 रकबा 0.10 है. भूमि का आवंटन किया गया था। पत्रावली में संलग्न मूल आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटी पांच्या पुत्र हटया जाति माली द्वारा भूमि आवंटन किये जाने हेतु आवेदन पत्र भरकर पेश किया गया था । भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश करने पर पटवारी हल्का की जांच आवेदन पत्र पर अंकित है। तत्पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम में किया गया है। तहसीलदार सैंथल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खड़का के खसरा नंबर 24 रकबा 0.02 है. खसरा नंबर 25 रकबा 0.06है. भूमि वर्तमान में मौके पर पडत पडी हुई है एवं खसरा नंबर 28 रकबा 0.02 है. भूमि पर फसल बोई हुई है। खसरा नंबर 24 व 25 होकर आवागमन हेतु रास्ता मौके पर चालू है जो कि भोमिया बाबा मंदिर तक जाता है जो कि यात्री एवं आम जन के काम आता है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2047 से 2050 एवं संवत 2051 से 2054 के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि खसरा नंबर 24 व 25 में कोई फसल बुवाई नहीं होकर भूमि पडत पडी हुई है। उक्त खसरा नंबरों की भूमि का उपयोग काश्त में नहीं होकर रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है। चूंकि खसरा नंबर 24 एवं 25 का उपयोग कृषि कार्य में नहीं होकर आवागमन हेतु रास्ता मौके पर भोमिया बाबा मंदिर तक जा रहा है तथा यात्री एवं आम जन के काम आता है। आवंटित भूमि का उपयोग कृषि कार्य में नहीं होने एवं रास्ते के रूप में उपयोग होने से भूमि आवंटन का उददेश्य ही समाप्त हो जाता है। हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति कैंप कालोता द्वारा प्रश्नगत आवंटन वाके ग्राम भेडोली के खसरा नंबर 24 रकबा 0.02है. व खसरा नंबर 25 रकबा 0.06है. का आवंटन निरस्त किया जाता है तथा खसरा नंबर 28 रकबा 0.02है. का आवंटन यथावत रखा जाता है। तहसीलदार सैंथल को निर्देश दिये जाते है कि निरस्त की गई भूमि खसरा नंबर 24 व 25 को नियमानुसार भूमि को सिवायचक दर्ज की जावे तथा भूमि को गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु पृथक से प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी को प्रेषित करने की कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 अगस्त, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा